कार्यालय उपजिलाधिकारी,सदर बुलन्दशहर

दिनांकः— 12.08.2015

## प्रेस—विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील बुलन्दशहर के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों के तालाबों/पोखरों को मत्स्य पालन हेतु दस वर्षीय पट्टा आवंटन शिविर का आयोजन शासनादेश सं0 3756—1—2/95 रा0—2 दिनांक 17—10—1995 एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार पंजीकृत मछुआ समितियो/समुदाय/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर तहसील बुलन्दशहर में नीलाम अधिकारी नायब तहसीलदार बुलन्दशहर द्वारा अपने न्यायालय कक्ष संख्या 4 में दिनांक 28.08.2015 को प्रातः 10:00 बजे से किया जायेगा। मत्स्य पालन पट्टा हेतु प्रार्थना—पत्र इच्छुक व्यक्तियों से प्रातः 10.00 बजे से अपराहन 2 बजे तक लिये जायेगे। अपराहन 2 बजे के बाद कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा अपराहन 2 बजे के बाद समान वरीयता समूह में नीलामी के आधार पर आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। नीलामी हेतु न्यूनतम बोली 22,500/— रूपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष होगी। उपस्थित व्यक्तियों में से समान वरीयता समूह में सर्वाधिक बोली के आधार पर मत्स्य पालन पट्टा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति खसरा,खतौनी, आय व जाति प्रमाण पत्र (विज्ञापन की तिथि से छह माह पुराना न हो) व प्रार्थना पत्र के साथ नियत तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होकर आवंटन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित हों। सर्वाधिक बोली दाता को नीलामी के तत्काल उपरान्त 1 वर्षीय लगान जमा कराना होगा। पटटा स्वीकृति/अस्वीकृत का पूर्ण अधिकार उपजिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर का होगा।

ग्रामों की सूची निम्न प्रकार है:—

| कमांक | ग्राम का नाम | गाटा सं0 | क्षेत्रफल(है0 में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बिसुन्दरा | 456<br>460 | 2.4900<br>1.7800 |

तहसीलदार,सदर
बुलन्दशहर

पत्रांक 892(9)/र0का0/मत्स्य पट्टा/2014—15 दिनांकः— 12.8.15

प्रतिलिपिः— 1—जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

2—उप जिलाधिकरी/तहसीलदार,सिकन्द्राबाद/खुर्जा/स्याना/डिबाई/अनूपशहर/शिकारपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ।

3—सहायक निदेशक मत्स्य, बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4—जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बुलन्दशहर को इस अनरोध के साथ कि कृप्या नेट पर डालने का कष्ट करें।

5—अपर जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को उक्त विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाषित कराने हेतु प्रेषित।

6—राजस्व निरीक्षक वरन/अगौता/औरंगाबाद को इस निर्देष के साथ कि वह अपने क्षेत्र से सम्बंधित उक्त ग्रामों के लेखपालों को इस विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार हेतु भूमि प्रबन्धक समिति के माध्यम से मुनादी कराने तथा मुनादी की प्रति निर्धारित पट्टा षिविर की तिथि को कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु।

7—तहसीलदार न्यायिक बुलन्दशहर/नीलाम अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।

8—खण्ड विकास अधिकारी बुलन्दशहर/अगौता/लखावटी/गुलावठी को इस अनुरोध के साथ विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार कराये।

9—सम्बंधित ग्राम सभा प्रधान/अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति को सूचनार्थ।

10—सम्पादक अमर उजाला/दैनिक जागरण में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

12/8/15

तहसीलदार,सदर,
बुलन्दशहर